उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6016 / जबलपुर, दिनांक 23/08/2023

दो–14–9/83 बैंच

श्री कुंज बिहारी दुबे, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से ज्योतिर्विज्ञान द्वि–वर्षीय (पोस्ट ग्रेजुएशन) पाठ्यक्रम सत्र–2023–24" में स्वाध्यायी छात्र के रूप में अध्ययन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(प्रमोद कुमार अग्रवाल) 22-8-23

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक B/6017 / जबलपुर, दिनांक 23/08/2023

दो–14–9/83 बैंच

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 3217/34/स्था./2023 ग्वालियर, दिनांक 28.07.2023 के संदर्भ में।

2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम–पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

3. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम)....................(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

5. श्री कुंज बिहारी दुबे, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)